बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

संकल्प

संख्या–योजना बजट–09 / 2018 / प०व० पटना–15, दिनांक–..... / 09 / 2018

कृषि के राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय बाँस मिशन को 14वें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृति दी गयी है, जिसके तहत बाँस को वन उत्पाद की श्रेणी से हटाकर इसके परिवहन हेतु अनुज्ञा–पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। राज्य में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग द्वारा बाँस के रोपण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैम्बू कॉन्क्लेव का आयोजन कर विभिन्न हितधारकों, विशेषज्ञों, उद्यमियों तथा कृषकों द्वारा इसके उपयोग के विभिन्न आयामों / सम्भावनाओं एवं और अधिक लोकप्रिय तथा आम जनता के लिए उपयोगी बनाने हेतु अनेक सुझाव प्राप्त हुए।

2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग द्वारा राज्य में बाँस के रोपण, सम्पोषण तथा इससे बनने वाले उत्पादों के संवर्द्धन हेतु विभाग स्तर पर एक कार्य बल का गठन करते हुए उसे "बाँस नीति" का प्रारूपण का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ–साथ इस विभाग द्वारा राज्य में बड़ी संख्या में बाँस का वनरोपण किया जा रहा है तथा राज्य के विभिन्न संस्थानों में बाँस के प्लांट टिशू लैब, टिशू कल्चर लैब इत्यादि अधिष्ठापित कर बाँस के पौधे तैयार कर कृषकों द्वारा उक्त पौधों के रोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

3. राष्ट्रीय स्तर पर बाँस के रोपण, संवर्द्धन एवं बाँस आधारित उद्योगों के विकास हेतु राष्ट्रीय बाँस मिशन का गठन किया गया है, जिसे अब तक कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर लागू करने का कार्यक्रम किया जा रहा है।

4. चूँकि बाँस वनों के अन्तर्गत भी एक प्रमुख प्रजाति का पौधा है, जिसपर यथा वर्णित कंडिका–3 में विभिन्न प्रकार के राज्य स्तरीय बैम्बू मिशन का कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग द्वारा संचालित है। अतएव राष्ट्रीय बाँस मिशन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुगमता एवं सुलभता तथा प्रमुख प्रजाति के बाँस पौधो को वनों के बाहर रोपण एवं संबर्द्धन में सहायक होने के दृष्टिपथ में राष्ट्रीय बाँस मिशन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग को नोडल विभाग नामित करते हुए उक्त कार्यक्रम को राज्य स्तर

पर केन्द्र से समन्वय स्थापित करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :–

<u>राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति :–</u>

| | | |
|---|---|---|
| (1) | मुख्य सचिव, बिहार | अध्यक्ष |
| (2) | सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| (3) | प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), बिहार, पटना | सदस्य |
| (4) | सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| (5) | सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| (6) | सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| (7) | सचिव/प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| (8) | सचिव/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| (9) | सचिव/प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| (10) | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| (11) | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| (12) | आई.सी.ए.आर., बिहार, पटना द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| (13) | आई.सी.एफ.आर.ई./एफ.आर.ई.सी., पटना द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| (14) | डॉ. ए.के. चौधरी, प्रिंसिपल इंवेस्टिगेटर, पी.टी.सी. लैब, टी.एन.बी. कॉलेज, भागलपुर | सदस्य |
| (15) | श्री कामेश सलम, संस्थापक–सह–कार्यकारी निदेशक, दक्षिण एशिया बाँस संस्थान | सदस्य |
| (16) | राज्य मिशन निदेशक | सदस्य सचिव |